

LT-7828/84

14

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3,
SUB SECTION (i) UNDER G.S.R. NO. 838 DATED 12.11.1983.

Government of India
Ministry of Steel and Mines
Department of Mines

New Delhi, the 28th Oct., 83
Kartika 6, 1905, Saka.

N O T I F I C A T I O N

S.R.NO.838: In exercise of the power conferred by Section 13, of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Mineral Concession (Third Amendment) Rules, 1983.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 in Schedule V after entry 12, the following entries shall be added, namely:-

- "13. General Insurance Corporation of India.
14. The Export-Import Bank of India.
15. The National Bank for Agriculture and Rural Development".

File No. 6(6)/82-M-VI

Sd/-Durgadas Gupta
Deputy Secretary to the Govt. of India.

Note:- Schedule V added to Mineral Concession Rules, 1960 vide notification No..1(6)/71-M-VI dated 13.3.1973 published in the Official Gazette as G.S.R. No. 345 dated 31.3.1973.

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
NEW DELHI.

91
॥ भारत के राजपत्र के भाग-2, खंड-3, उपखंड ॥1॥ में सा०का०नि० 838 के अंतर्गत,
दिनांक 12-11-1983 को प्रकाशित ॥

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग
....

नई दिल्ली, दिनांक-^{28 अक्टूबर, 1983}
~~6 कात्तिक, 1905~~ ॥शक्र॥

अधिसूचना

सा०का०नि०..... केन्द्र सरकार, खान और खनिज ॥ विनियमन और विकास ॥
अधिनियम, 1957 ॥67 आफ 1957॥ को धारा 13 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियमावली, 1960 में आगे और संशोधन करते हुए,
एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. ॥1॥ इन नियमों को खनिजरियायत ॥तोसरा संशोधन॥ नियमावली, 1983
कहा जाएगा ।

॥2॥ ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खनिज रियायत नियमावली, 1960 को अनुसूची-V में प्रविष्टि 12 के बाद
निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, यथा:-

"13. जनरल इश्योरेंस कापोरेशन आफ इंडिया ।

14. दि एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया ।

15. दि नेशनल बैंक आफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ।"

फाइल संख्या 6॥6॥/82-खान-6

ह०/-

॥ दुर्गादास गुप्त ॥
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- खनिज रियायत नियमावली, 1960 में अनुसूची-V दिनांक 13-3-1973
की अधिसूचना संख्या 1॥6॥/71-खान-6 द्वारा जोड़ी गई थी, जो
सा०का०नि० 345 के रूप में दिनांक 31-3-1973 को प्रकाशित हुई थी।

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली।